

कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद  
(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)  
(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)  
तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल

क्र./कॉलेज / A22P0091/

/2023,

भोपाल, दिनांक

/08/2023

**आदेश**

राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा-24 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में करते हुए ऑल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नालॉजी के द्वारा संचालित रविन्द्रनाथ टेगौर यूनीवर्सिटी को रायसेन जिले में निम्नानुसार विषय तथा प्रवेश संख्या के आधार पर शिक्षण सत्र 2022-2023 (एक वर्ष) के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने की सशर्त अस्थायी अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	डिग्री/डिप्लोमा/ प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (Ortho.)	POST GRADUATE	10
02	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (Sports.)	POST GRADUATE	05
03	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (Neuro.)	POST GRADUATE	05
04	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (Cardio.)	POST GRADUATE	05
05	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	100
06	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	100
07	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	100

**आवश्यक निर्देश :-**

- संस्था को म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद के समस्त नियम विनियम अनुसार प्रवेश तथा अन्य कार्यवाही संपन्न कर, परिषद द्वारा जारी पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण करवाना होगा। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में संस्था द्वारा परिषद द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 19 सितम्बर, 2023 तक छात्रों के प्रवेश किए जा सकेंगे।
- मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद के नियम विनियम अनुरूप निर्धारित संख्या द्वारा महाविद्यालय में उपयुक्त योग्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सत्र प्रारंभ होने के पूर्व की जाना आवश्यक होगा तथा परिषद को यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा।
- संस्था द्वारा म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा बनाये गये प्रवेश नियमों के अनुसार ही छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
- शासन/परिषद की ओर से समय-समय पर किए जाने वाले सामान्य एवं आकस्मिक निरीक्षण के दौरान संस्था को आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा एवं संस्था द्वारा ऑन लाईन आवेदन के समय दी गई जानकारी जिसको कि शपथ पत्र के माध्यम से सत्यापित किया गया है उसमें यदि असत्यता पाई जाती है तो संस्था की मान्यता निरस्तीकरण के संबंध में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
- संस्था को उपरोक्त उल्लेखित समस्त सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों की विषयवार सत्यापित सूची (छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, शैक्षणिक अर्हता, प्रवेशित पाठ्यक्रम का नाम, प्रवेश क्र. एवं दिनांक, जन्मतिथि, निवास का पता, इत्यादि) निर्धारित तिथि 19 सितम्बर, 2023 तक म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद को अनिवार्य रूप से एम. पी. ऑनलाईन के माध्यम से जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् नियमानुसार परिषद प्रतिदिन प्रति छात्र एक हजार का विलम्ब शुल्क प्राप्त कर सकेगी। जिसके लिये संस्था जिम्मेदार होगी।
- मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित अधिकतम शिक्षण शुल्क के अनुसार ही संस्था को कार्यवाही करना आवश्यक होगा।
- उपरोक्त आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर संस्था को मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद, के नाम से राशि रुपये पाँच लाख का एफडीआर /सावधि जमा की मूल प्रति न्यूनतम पाँच वर्ष की वैधता अवधि हेतु सुरक्षा निधि एफडीआर के रूप में जमा करना आवश्यक होगा।
- डिप्लोमा / डिग्री / पीजी सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के पूर्व संस्था को संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

निरन्तर पृ.क्र. 2 पर.....

मध्य प्रदेश सह-शैक्षिकीय परिषद

रजिस्ट्रार  
 18/08/23

17. आदेश फाईल / परीक्षा कक्ष, स्थानीय कार्यालय ।
16. जी.पी. गौड़ी नगर, भोपाल (उपरीक्तानुसार प्रवेश कर्म सम्बन्धी कार्यावाही हेतु सूचनाएँ)
15. सवालक, एम.पी. ऑनलाइन, डेवलपमेंट कार्यालय, रवींद्र तल, स्टेट आर्टि पार्क, अन्वय नगर, नियर आर.
14. सवालक / प्रचार्य, रजिस्ट्रार, विवेक बंधुसिंघा, भोजपुर, जिला रायसेन ।  
 Director, National Information Center, M.P., State Center Vindhachal Bhawan, Bhopal
13. जिला संचालक, आदिम जालि कल्याण जिला- रायसेन ।
12. रिजल सज्जन सह मुख्य आयुक्त अशिक्षक जिला- रायसेन ।
11. मुख्य शिक्षक एवं स्वास्थ्य अधिकाारी, जिला- रायसेन ।
10. अशिक्षा, स्वास्थ्य जी.पी. गौड़ी शिक्षक महाविद्यालय, भोपाल ।
9. कर्मसचिव, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
8. कलेक्टर, जिला-रायसेन ।
7. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ।
6. आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल ।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश, भोपाल ।
4. अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जालि कल्याण विभाग, मन्डला, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग, मन्डला, भोपाल ।
1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग, भोपाल ।

पुष्पांकन क्र./कॉलेज/A22P0091/2565/2023,  
 प्रतिनिधि :- सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु :-

भोपाल, दिनांक 18/08/2023

मध्य प्रदेश सह-शैक्षिकीय परिषद

रजिस्ट्रार

9. निर्धारित समयवाही में सुरक्षा निधि राशि में जमा कराये जाने का सत्यापन प्रमाण-पत्र मध्य प्रदेश सह-शैक्षिकीय परिषद को प्रस्तुत करने में विफल होने पर, संस्था द्वारा प्रवेष्टित छात्रों के ऑनलाइन प्रवेश कर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
10. मध्य प्रदेश सह-शैक्षिकीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा-44 (1) एवं (2) में उल्लिखित प्राधान्यों के परिपेक्ष्य में सह-शैक्षिकीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यासियों को परिषद में (पंजीयन) हेतु संस्था स्तर से समस्त आवश्यक कार्यावाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार संस्था से उत्तीर्ण छात्रों को मध्य प्रदेश सह-शैक्षिकीय नामांकन(पंजीयन) की सम्पूर्ण जबाबदारी संस्था की होगी।
11. मध्य प्रदेश सह-शैक्षिकीय परिषद द्वारा दी गई अनुज्ञा / मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकती। संस्था द्वारा संचालित / अनुमति प्राप्त सह-शैक्षिकीय पाठ्यक्रमों की वार्षिक सन 2023-2024 की निरन्तरता नवीन पाठ्यक्रम बावजूद संस्था का परिषद द्वारा निर्धारित लिखित तक मान्यता शून्य, ऑनलाइन जमा करना आवश्यक होगा। जिसके लिये संस्था जिम्मेदार होगी।

(2)

कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश सह-शैक्षिकीय परिषद  
 (M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)  
 (A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)  
 रवींद्र तल, एलिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल